दिनांक 02.08.2019

PRESS NOTE

tuin ckxir iqfyl dk ljkguh; dk;Z

➢ **सोषल मीडिया पर वायरल ''हर्ष फायंरिग'' की वीडियो मे अवैध तमंचे से फायरिंग करता हुआ आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से फायंरिग में प्रयुक्त नाजायज एक तमंचा मय कारतूस बरामद।**

- **अनावरण हुई घटना का संक्षिप्त विवरण :–**

सोषल मीडिया पर समारोह में अवैध असलाह से युवक द्वारा फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ था। उक्त वीडियो पर तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देषन मे थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा सोषल मीडिया पर वायरल वीडियो मे हर्ष फायरिंग करने वाले युवको को चिन्हित करते हुए अभियुक्त **गोलू उर्फ विजय पुत्र महेष निवासी ग्राम सरूरपुरकलां थाना कोतवाली बागपत** को दिनांक 01.08.19 को बस स्टैण्ड सरूरपुरकलां से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के **कब्जे से हर्ष फायरिंग मे प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस** बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

जांच व पूछताछ से ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त द्वारा अपने एक साथी अर्जुन पुत्र जितेन्द्र निवासी सरूरपुरकलां थाना बागपत के साथ दो माह पूर्व कस्बा खेकडा में अपने दोस्त की बहन की षादी समारोह में डीजे पर नाचते हुए हर्ष फायरिंग कर दहषत का महौल बनाया था। जिसकी वीडियो सोषल मीडिया पर वायरल हो गई।

उक्त के अतिरिक्त अभियुक्त ने एक माह पूर्व भी सरूरपुरकलां मे स्कूल की छत पर बर्थडे मनाते हुए बर्थडे केक पर तमंचे से फायरिंग करने वाली वायरल वीडियो अपने साथी अर्जुन के साथ वायरल कर दहषत का माहौल बनाया था। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 584/19 धारा 336 भादवि पंजीकृत है।

- **अभियुक्त का नाम व पता :–**

  1– गोलू उर्फ विजय पुत्र महेष निवासी ग्राम सरूरपुरकलां थाना कोतवाली बागपत।

- **वांछित अभियुक्त का नाम व पता :–**

  1– अर्जुन पुत्र जितेन्द्र निवासी सरूरपुरकलां थाना बागपत।0

- **बरामदगी का विवरण :–**

  1– हर्ष फायरिंग मे प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस।

➢ **तीन वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना कोतवाली बागपतः– पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 326/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व मु0अ0सं0 309/19 धारा 3/5/9 गौवध अधि0 एवं मु0अ0सं0 327/19 धारा 270, 273 भादवि व 3/11 पषु क्रूरता अधि0 मे वांछित अभियुक्त फईम उर्फ तेडा पुंत्र सलीम निवासी पुराना कस्बा व थाना बागपत को गिरफ्तार किया है।

थाना छपरौलीः– पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 244/19 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज अधि0 मे वांछित अभियुक्त मोहित कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है।

थाना खेकडाः– पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 132/19 धारा 307, 411, 414 भादवि मे वांछित अभियुक्त सचिन पुत्र भगवान दास निवासी रामविहार कालौनी कस्बा लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है।

- **थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक सोलवर गिरफ्तार।**

  थाना कोतवाली बागपतः– पुलिस द्वारा सम्राट पृथ्वीराज डिग्री कालिज बागपत से एक सोलवर सुमित पुत्र गोपाल निवासी अटेरना थाना रजतपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 588/19 धारा 417, 419, 468 भादवि व 6/10 उत्तर प्रदेष सार्वजनिक परीक्षा अधि0 मे अभियोग पंजीकृत किया गया है।

- **षस्त्र अधि0 मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा मय एक जिंदा कारतूस व एक चाकू नाजायज बरामद।**

  थाना कोतवाली बागपतः– पुलिस द्वारा इलाहाबाद बैक कस्बा बागपत के पास से अभियुक्त 1–सन्नी पुत्र बेनसिंह निवासी सिसाना थाना कोतवाली बागपत 2–तरूण पुत्र कृष्णपाल निवासी इंद्राकालौनी गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस व अभियुक्त तरूण के कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद किया गया है।

- **अवैध षराब की तस्करी करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे 07 लीटर कच्ची षराब बरामद।**

  थाना छपरौलीः– पुलिस द्वारा सुरेन्द्र पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पटटी धनधान कस्बा व थाना छपरौली को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 07 लीटर कच्ची षराब नाजायज बरामद की गई।